

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी केकडी जिला अजमेर

राजस्व वाद 154 / 2022 (2022 / 482)

1. मैना सुन्दरी पत्नि शिवराज सुजेरिया जाति तेली निवासी आदर्शनगर कॉलोनी जयपुर रोड केकडी तहसील केकडी जिला अजमेर

---वादीया

♠ बनाम ♠

1. ग्यारसी लाल पुत्र कानाराम जाति कीर
2. नोरतमल पुत्र कानाराम जाति कीर
3. हरपाल पुत्र कानाराम जाति कीर
निवासीगण पारा तहसील केकडी जिला अजमेर
4. उपपंजीयक, उपपंजीयन कार्यालय केकडी जिला अजमेर
5. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार केकडी जिला अजमेर

--- प्रतिवादीगण

वाद पत्र अंतर्गत धारा 53,92ए एवं 209 राज.काश्तकारी अधिनियम

उपस्थित:-


1. श्री नवलकिशोर पारीक - अधिवक्ता वादी
2. पैरोकार सरकार जरिये तहसीलदार केकडी

आदेश

दिनांक 14/02/23

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार हैं कि वादपत्र अन्तर्गत धारा 53, 92ए, 209 राज. काश्तकारी अधिनियम वाके ग्राम पारा तहसील केकडी के खाता संख्या नया पुराना 972-53 के खसरा नम्बर 655, 656, 657 का निर्णय व प्रारंभिक डिकरी दिनांक 10.08.2022 को जारी कर बटवारा करने हेतु तहसीलदार केकडी को मौका कमिश्नर नियुक्त किया गया था। तहसीलदार केकडी ने बंटवारा प्रस्ताव प्रस्तुत किया है जो निम्नानुसार है:-

क. स.	नाम खातेदार	खसरा नंबर	रकबा	किस्म
1	हरपाल पुत्र कानाराम कौम कीर सा0देह खातेदार रहिन एसबीआई शाखा केकडी	656 657 / 1	0.0100 0.3875	गै.मु.चाह नहरी2
		किता 2	रकबा 0.3975 है0	
2	ग्यारसीलाल पुत्र कानाराम कौम कीर सा0देह खातेदार रहिन एसबीआई शाखा केकडी	657 / 2	0.3975	नहरी 2
		किता 1	रकबा 0.3975 है0	
3	मैना सुन्दरी साहू पत्नि शिवराज सुजेरिया जाति तेली सा0 आदर्श नगर कॉलोनी जयपुर रोड केकडी	657 / 3	0.3975	नहरी 2
		किता 1	रकबा 0.3975 है0	
4	नोरतमल पुत्र कानाराम कौम कीर सा0देह खातेदार रहिन एसबीआई शाखा केकडी	657 / 4	0.3975	नहरी 2
		किता 1	रकबा 0.3975 है0	
5	ग्यारसीलाल, नोरतमल, हरपाल पि. कानाराम हि. 3/4, कौम कीर सा0देह खातेदार रहिन एसबीआई शाखा केकडी, मैना सुन्दरी साहू पत्नि शिवराज सुजेरिया हि. 1/4 जाति तेली सा0 आदर्शनगर कॉलोनी जयपुर रोड केकडी खातेदार	655	0.04	गै.मु.चाह
		किता 1	रकबा 0.04 है0	



*उपखण्ड अधिकारी
केकडी (अजमेर)*

तहसीलदार केकडी द्वारा प्रस्तुत बंटवारा प्रस्ताव में वादी एवं प्रतिवादीगण का हिस्सा अलग-अलग रंग से चिन्हित किया गया है। तहसीलदार केकडी द्वारा अवगत कराया गया कि पक्षकारान ग्यारसी लाल पुत्र कानाराम, मैना सुन्दरी पत्नि शिवराज, शिवराज पुत्र सोकिनचन्द मोके पर उपस्थित रहे। वकील पक्षकारान को सुना गया।

वकील वादी ने वादपत्र में अंकित कथनों को दोहराया। पक्षकारान के अधिवक्ताओं ने कब्जा काश्त अनुसार बंटवारा किये जाने हेतु सहमति जाहिर की है।

पत्रावली का अवलोकन किया गया। उपलब्ध दस्तावेजात व तहसीलदार केकडी द्वारा प्रेषित बंटवारा प्रस्ताव का अवलोकन किया। वकील पक्षकारान की बहस पर गौर किया। तहसीलदार केकडी द्वारा प्रस्ताव अनुसार निम्न प्रकार बंटवारा किया जाता है:-

क्र. सं.	नाम खातेदार	खसरा नंबर	रकबा	किस्म
1	हरपाल पुत्र कानाराम कौम कीर सा0देह खातेदार रहिन एसबीआई शाखा केकडी	656	0.0100	गै.मु.चाह नहरी2
		657/1	0.3875	
		किता 2	रकबा 0.3975 है0	
2	ग्यारसीलाल पुत्र कानाराम कौम कीर सा0देह खातेदार रहिन एसबीआई शाखा केकडी	657/2	0.3975	नहरी 2
		किता 1	रकबा 0.3975 है0	
3	मैना सुन्दरी साहू पत्नि शिवराज सुजेरिया जाति तेली सा0 आदर्श नगर कॉलोनी जयपुर रोड केकडी	657/3	0.3975	नहरी 2
		किता 1	रकबा 0.3975 है0	
4	नोरतमल पुत्र कानाराम कौम कीर सा0देह खातेदार रहिन एसबीआई शाखा केकडी	657/4	0.3975	नहरी 2
		किता 1	रकबा 0.3975 है0	
5	ग्यारसीलाल, नोरतमल, हरपाल पि. कानाराम हि. 3/4, कौम कीर सा0देह खातेदार रहिन एसबीआई शाखा केकडी, मैना सुन्दरी साहू पत्नि शिवराज सुजेरिया हि. 1/4 जाति तेली सा0 आदर्शनगर कॉलोनी जयपुर रोड केकडी खातेदार	655	0.04	गै.मु.चाह
		किता 1	रकबा 0.04 है0	

तहसीलदार केकडी राजस्व रेकार्ड जमाबंदी में अलग अलग खाते व लगाम कायम करे। इस आशय का डिक्री पर्चा जारी हो। खर्चा फरिकेन अपना-अपना वहन करें। निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।



(विकास संचोली)
उपखण्ड अधिकारी
केकडी (अजमेर)
केकडी

मूल वाद में अंतिम डिक्री
(आदेश 20 के नियम 6 और 7)
उपखण्ड अधिकारी केकडी जिला अजमेर
(पीठासीन अधिकारी केम्प कोर्ट)
पीठासीन अधिकारी:- विकास पंचोली (आर.ए.एस)
उन्वान

1. मैना सुन्दरी पत्नि शिवराज सुजेरिया जाति तेली निवासी आदर्शनगर कॉलोनी जयपुर रोड केकडी तहसील केकडी जिला अजमेर

—वादीया

♠ बनाम ♠

1. ग्यारसी लाल पुत्र कानाराम जाति कीर
2. नोरतमल पुत्र कानाराम जाति कीर
3. हरपाल पुत्र कानाराम जाति कीर
4. निवासीगण पारा तहसील केकडी जिला अजमेर
5. उपपंजीयक, उपपंजीयन कार्यालय केकडी जिला अजमेर
6. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार केकडी जिला अजमेर

— प्रतिवादीगण

वाद पत्र:- अंतर्गत धारा अन्तर्गत धारा 53,92ए,209 राज. काश्तकारी अधिनियम

मुकदमा नम्बर:- राजस्व वाद 154/2022 (2022/482)

निर्णय दिनांक:- 14/02/23

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रुबरु श्री विकास पंचोली आर0ए0एस0 उपखण्ड अधिकारी केकडी बहाजिरी श्री नवलकिशोर पारीक वकील वादी, पैरोकार सरकार जय तहसीलदार तहसीलदार केकडी हाजिर मुद्दावलाह पेश कर हुक्म दिया जाता है वाद पत्र:- अंतर्गत धारा 53,92ए,209 राज. काश्तकारी अधिनियम का दावा स्वीकार किया जाकर ग्राम पारा के खसरा नम्बर 655, 656, 657 के निर्णय व प्रारम्भिक डिकरी दिनांक 10.08.2022 की पालना में बटवारा तहसीलदार केकडी द्वारा निम्नानुसार प्रस्तुत किया है

क्र.सं.	नाम खातेदार	खसरा नंबर	रकबा	किस्म
1	हरपाल पुत्र कानाराम कौम कीर सा0देह खातेदार रहिन एसवीआई शाखा केकडी	656 657/1	0.0100 0.3875	गै.मु.चाह नहरी2
		किता 2	रकबा 0.3975 है0	
2	ग्यारसीलाल पुत्र कानाराम कौम कीर सा0देह खातेदार रहिन एसवीआई शाखा केकडी	657/2	0.3975	नहरी 2
		किता 1	रकबा 0.3975 है0	
3	मैना सुन्दरी साहू पत्नि शिवराज सुजेरिया जाति तेली सा0 आदर्श नगर कॉलोनी जयपुर रोड केकडी	657/3	0.3975	नहरी 2
		किता 1	रकबा 0.3975 है0	
4	नोरतमल पुत्र कानाराम कौम कीर सा0देह खातेदार रहिन एसवीआई शाखा केकडी	657/4	0.3975	नहरी 2
		किता 1	रकबा 0.3975 है0	
5	ग्यारसीलाल, नोरतमल, हरपाल पि. कानाराम हि. 3/4, कौम कीर सा0देह खातेदार रहिन एसवीआई शाखा केकडी, मैना सुन्दरी साहू पत्नि शिवराज सुजेरिया हि. 1/4 जाति तेली सा0 आदर्शनगर कॉलोनी जयपुर रोड केकडी खातेदार	655	0.04	गै.मु.चाह
		किता 1	रकबा 0.04 है0	

अतः उपरोक्तानुसार बटवारा स्वीकार किया जाता है तहसीलदार केकडी राजस्व रिकॉर्ड जमाबंदी में अलग अलग खाते व लगाम कायम करे। इस आशय का अंतिम डिकरी पर्चा जारी किया जाता है खर्चा फरिकेन अपना अपना वहन करे।




उपखण्ड अधिकारी
केकडी (अजमेर)



चीज मुबलिक बाबत
 खर्चा इस मुकदमे के मय सूद व शरह फीसदी सालाना आज की तारीख से तारीख वसूलयाबी तक
 को अदा करे

वसव्दा मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 14/02/23 को जारी की गई।

मुहर



दस्तखत
 उपखण्ड अधिकारी
 केकडी (राजमेर)

मुददई	रूपया	पैसा	मुदयलाह	रूपया	पैसा
स्टाम्प अर्जी दावा	0	0	स्टाम्प अर्जी दावा	0	0
स्टाम्प वकालतनामा			स्टाम्प वकालतनामा		
स्टाम्प वजह सबूत			स्टाम्प वजह सबूत		
महनताना वकील			महनताना वकील		
खर्चा गवाहान.			खर्चा गवाहान.		
पीस कमिश्नर.			पीस कमिश्नर.		
बाबत इजराय हुक्मनामा			बाबत इजराय हुक्मनामा		
मुतफरिक	---	---	मुतफरिक	---	---
मीजान	0	0	मीजान	0	0

नोट:- इस खर्चे के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरिकेन का चाहे डिकरी के जरिये दिलाया गया हो या नही दर्ज करना चाहिए।

